न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3609–एक/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 28–09–13 पारित तहसीलदार, तहसील काला पीपल, जिला शाजापुर प्रकरण कमांक 11/अ–70/2011–12

1– महेशचन्द्र पुत्र वंशीलाल
2– रमेशचन्द्र पुत्र वंशीलाल
दोनों निवासी बावड़िया मैना, तह0 काला पीपल, जिला शाजापुर, म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूध्द

फूलचन्द पुत्र गणेशप्रसाद
निवासी बावड़िया मैना, तह0 काला
पीपल, जिला शाजापुर, म0प्र0 ——— अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक – अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 09 अप्रैल ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील काला पीपल, जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 11/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28–09–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक फूलचन्द्र ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क0 57/1 के रकबा 3.047 हे0 का कब्जा वापिस दिलाये जाने हेतु आवेदनपत्र आवेदकगण महेशचन्द्र एवं रमेशचन्द्र के विरूध्द प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार ने अपने अंतरिम आदेश दिनाक 28–9–13 व्दारा सीमांकन पंचनामें व संलग्न नक्शे में लालस्याही से अंकित भूमि से तत्काल

कब्जा हटाकर भूमिस्वामी को सौपे जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का आधिपत्य विगत 50 वर्षो से भी अधिक वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है। अनावेदक व्दारा बेदखली दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, किन्तु आवेदनपत्र में बेदखली के दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही साक्ष्य से यह प्रमाणित है, इसलिये आवेदनपत्र अवधि बाह्य था। आवेदकगण की अनुपस्थिति में किये गये एकपक्षीय सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय व्दारा अंतरिम आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का विधिवत सीमांकन कराने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर आवेदकगण का अवैध आधिपत्य है। अतः उसने अवैध आधिपत्य हटाने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अनावेदक का आवेदनपत्र जानकारी के दिनांक से 6 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने से अन्तरिम आदेश व्दारा अवैध आधिपत्य हटाये जाने के आदेश दिये हैं जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत जबाव में प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा पुश्तैनी होना अंकित किया है तथा इस न्यायालय में भी प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से होना बताया है, किन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्रमाण के अभाव में आवेदकगण विव्दान अभिभाषक का तर्क मान्य योग्य नहीं है। तहसील न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध किश्तबन्दी खतौनी एवं खसरा पंचसाला से अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी होना सिध्द है। आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर विधिक स्वत्व किस आधार पर प्राप्त हैं तथा उनका कब्जा किस प्रकार विधि अनुकूल है, इस संबंध में

कोई भी स्पष्टीकरण ना तो आवेदकगण ने अपने जबाव में भी दिया है और ना ही निगरानी में बताया गया। राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 21–05–2011 को किये गये सीमांकन कार्यवाही को आवेदकगण व्दारा निगरानी में कलेक्टर जिला शाजापुर के समक्ष चुनौती दी गयी, किन्तु कलेक्टर व्दारा आवेदकगण का निगरानी आवेदनपत्र खारिज किया गया है जिसके विरूध्द सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है। अनावेदक व्दारा सीमांकन की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है, इस कारण तहसीलदार व्दारा आवेदनपत्र जानकारी के दिनांक से समयावधि में होना माना है। ऐसी दशा मे प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध आधिपत्य होने से उसे अंतरिम आदेश व्दारा हटाये जाने के आदेश देने में तहसीलदार व्दारा कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 28–09–2013 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर.